



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64720-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 11623 वर्ष 2026

श्रीमती अफ़रोज़

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: साहब अली

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., श्याम मणि शुक्ला

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साहब अली, राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आनंद भास्कर श्रीवास्तव और नगर निगम की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम मणि शुक्ला ने नोटिस स्वीकार किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

i). सर्टिओरारी प्रकृति का निर्देश, आदेश या रिट जारी किया जाए, रिकॉर्ड मंगवाया जाए और दिनांक 31.12.2025 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाए, जो नगर निगम बरेली, जिला बरेली के नगर आयुक्त द्वारा पारित किया गया था।

ii). मेंडमस प्रकृति का निर्देश, आदेश या रिट जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता की उपरोक्त दुकान की सील और ताला खोलने और उसके शांतिपूर्ण उपयोग में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए।

iii). याचिकाकर्ताओं को याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता, बरेली जिले के सिविल लाइंस, स्टेशन रोड स्थित दुकान संख्या 1535/5/216 का संचालन कर रहा है। प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा दुकान को सील और ताला लगाने के बाद, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 30600/2025 दायर की, जिसमें दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने यह संपत्ति स्वर्गीय नवी अहमद के उत्तराधिकारी से 29.02.2020 को खरीदी थी। इस मामले में नगर निगम द्वारा केस संख्या 6/2008 के तहत कार्यवाही की गई थी; उत्तर प्रदेश राज्य, नगर आयुक्त, नगर निगम बरेली के माध्यम से। मोहम्मद नवी अहमद बनाम, निर्धारित प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, बरेली के समक्ष। यह कार्यवाही सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1971') के तहत शुरू की गई थी, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान, मोहम्मद नवी अहमद का निधन हो गया और 29.09.2021

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को मामले का एकतरफा फैसला मृत व्यक्ति के विरुद्ध सुनाया गया। विवादित संपत्ति के स्वामी याचिकाकर्ता ने मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया, लेकिन

निर्धारित प्राधिकारी ने 29.09.2021 को आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया और मामले को नगर निगम, बरेली के पक्ष में पारित कर दिया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.09.2021 के उक्त आदेश से व्यथित होकर जिला न्यायाधीश, बरेली के समक्ष अपील संख्या 5(21) 2022 दायर की, जिसे जिला न्यायाधीश, बरेली ने दिनांक 11.07.2025 को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि चूंकि निर्धारित प्राधिकारी ने एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया था, इसलिए कार्यवाही समाप्त हो गई थी।

4. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील लंबित रहने के दौरान, दुकान को सील कर दिया गया था, लेकिन चूंकि अपीलीय कार्यवाही याचिकाकर्ता के पक्ष में तय हो चुकी है, इसलिए ताला और सील अवैध हैं और इन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आज तक, निर्धारित प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1971 के तहत कोई नई कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई नया उपाय नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 11.09.2025 के आदेश के जवाब में पारित आदेश का इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्धारित प्राधिकारी को अधिनियम, 1971 के तहत उपाय करना होगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने राहत का विरोध किया है और कहा है कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि पर अतिक्रमण किया है, जो सड़क से सटी हुई है। डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के जवाब में, याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय नगर निगम, जिला बरेली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के नगर आयुक्त द्वारा किया गया है। जहां तक अधिकार क्षेत्र का सवाल है, वह डिवीजन बेंच द्वारा प्रदान किया गया है और इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। विवादित आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

7. हमने पाया कि अपील संख्या 5(21) वर्ष 2022 में विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को जिला न्यायाधीश, बरेली ने 11.07.2025 को इस आधार पर स्वीकार कर लिया था कि मोहम्मद नवी अहमद, जो प्रश्नगत संपत्ति के पूर्ववर्ती हितधारक थे, के संबंध में कार्यवाही पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यह स्वीकार किया जाता है कि नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, संपत्ति याचिकाकर्ता को हस्तांतरित कर दी गई थी, जिसे उक्त मामले में कभी भी पक्षकार नहीं बनाया गया था और इस प्रकार अधिनियम, 1971 के तहत अपीलीय प्राधिकारी ने सही ढंग से यह टिप्पणी की थी कि श्री मोहम्मद नवी अहमद के संबंध में कार्यवाही समाप्त हो गई थी क्योंकि उक्त कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार निर्धारित प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 29.09.2021 को पारित आदेश एकतरफा आदेश है। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट होता है कि आज तक प्राधिकरण, यद्यपि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही करने का विवेकाधिकार रखता है, पर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

8. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केवल नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली द्वारा दिनांक 31.12.2025 को पारित आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता की दुकान को सील/ताला नहीं किया जा सकता। तदनुसार, चुनौती दिए गए आदेश को रद्द किया जाता है और प्रतिवादी प्राधिकरण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रश्नगत दुकान की सील और ताला तुरंत खोले। हालांकि, यह आदेश निर्धारित प्राधिकरण को याचिकाकर्ता के संबंध में अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, बल्कि केवल कानून के अनुसार ही कार्यवाही करने से रोकेगा।

9. उपरोक्त अवलोकन के आधार पर, रिट याचिका आंशिक रूप से **स्वीकार** की जाती है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

28 मार्च, 2026

प्रिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।